

उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग-1
संख्या-485 / ix / 2011
देहरादून दिनांक 17 अक्टूबर, 2011

अधिसूचना संख्या 485/ix/2011 दिनांक 14 अक्टूबर, 2011 को प्रख्यापित
" उत्तराखण्ड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2011 की प्रति
निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
- 3- सामरत प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- निजी सचिव, मा0 परिवहन मंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 परिवहन मंत्री जी के अवलोकनार्थ।

- 6- मण्डलायुक्त, कुमायूँ/गढ़वाल।
- 7- परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड।
- 8- सामरत जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 9- प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम।
- 10- सामरत कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 11- सामरत संचागीय परिवहन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 12- सामरत सहायक संचागीय परिवहन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 13- निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 14- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रुड़की (हरिद्वार) को नियमावली की हिन्दी प्रतियों को संलग्न करते हुए इस निवेदन के साथ प्रेषित कि कृपया नियमावली को असाधारण गजट विभागीय परिशिष्ट भाग-4 खण्ड-क में मुद्रित कराकर इसकी 100 प्रतियां परिवहन अनुभाग-1 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

TR
19.10.11
उप परिवहन आयुक्त
उत्तराखण्ड

D.T.C.

डी.टी.सी. की ओर से
परिवहन आयुक्त

आज्ञा से
(विनोद कुमार रतूड़ी)
अपर सचिव।

(आयुक्त सचिव/परिवहन आयुक्त)

उत्तराखण्ड शासन
परिवहन विभाग
संख्या-५९५/IX/2३५ /2011
देहरादून, दिनांक 1५ अक्टूबर, 2011

अधिसूचना

उत्तराखण्ड मोटरयान कसधान सुधार अधिनियम, 2003 की धारा 28 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तराखण्ड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि नियमावली, 2008 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तराखण्ड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2011

संक्षिप्त नाम 1 (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम 'उत्तराखण्ड सड़क परिवहन एवं प्रारम्भ दुर्घटना राहत निधि (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2011 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सामान्य 2 "उत्तराखण्ड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि नियमावली, 2008" जिसे आगे मूल नियमावली कहा गया है, के

नियम 4 का 3 उत्तराखण्ड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि नियमावली, 2008 (जिसे यहाँ आगे मूल नियमावली कहा गया है) में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गए वर्तमान नियम 4 के उपनियम (1) एवं (2) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात :-

मूल नियमावली का विद्यमान नियम	एतद् द्वारा प्रतिस्थापित नियम
1	2
राहत की हकदारी- (1) किसी सार्वजनिक सेवायान, जिसके सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन अतिरिक्त कर या उक्त धारा की उपधारा (3) के अधीन अधिभार का भुगतान किया जा चुका है, के दुर्घटना में अन्तर्गत होने से पीड़ित यात्री या कोई अन्य व्यक्ति या अन्य व्यक्ति के उत्तराधिकारी राहत के हकदार होंगे।	राहत की हकदारी- (1) किसी सार्वजनिक सेवायान (जैसा कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में परिभाषित है) के दुर्घटना में अन्तर्गत होने से पीड़ित यात्री या कोई अन्य व्यक्ति या यात्री या अन्य व्यक्ति के उत्तराधिकारी राहत पाने के हकदार होंगे।
(2) प्रत्येक दुर्घटना के सम्बन्ध में उपनियम (1) के अधीन राहत की	(2) प्रत्येक दुर्घटना के संबंध में उप नियम (1) के अधीन

माना ऐसी होगा, जैसी नियमावली के नियम 30 के उपनियम (2) के प्रयोजनार्थ प्रतिस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट है।	राहत की मात्रा ऐसी होगी जैसी इस नियमावली के अन्त में दी गयी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है।
---	---

नियम 8 का 4 संशोधन

मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गए वर्तमान नियम 8 के उपनियम (1), (2) एवं (3) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :-

विद्यमान नियम	एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
1	2
कार्यालय निधि का वित्त पोषण-	निधि का वित्त पोषण, प्रशासन एवं उपयोग की शीति-
(1) कार्यकारिणी के प्रबंधन एवं नियन्त्रण में एक कोष स्थापित किया जायेगा, जो नियमावली के नियम 31 में दिये गये प्राविधानों अनुसार शासित होगा।	(1) कार्यकारिणी के प्रबंधन एवं नियन्त्रण में एक कोष स्थापित किया जायेगा, जो इस नियमावली के प्राविधानों के अनुसार शासित होगा।
(2) निधि में सार्वजनिक संस्थाओं, न्यायों, निगमित निकायों एवं केन्द्र तथा राज्य सरकारों से प्राप्त दान, अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (3) के अधीन उद्गृहीत अधिभार उद्गृहीत अधिभार और धारा 6 की उपधारा (1) और (2) के अधीन उद्गृहीत अतिरिक्त कर के इक्कीसवें भाग के समतुल्य धनराशि का बैंक ज्ञापन, करायान अधिकारी द्वारा अध्यक्ष, उल्लराखण्ड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि को उपलब्ध कराया जायेगा, जिसे दुर्घटना राहत निधि में अध्यक्ष द्वारा अधिकृत अपर परिवहन आयुक्त द्वारा इस निमित्त भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा में खोले गये वचत बैंक खाते में जमा किया जायेगा।	(2) निधि में सार्वजनिक संस्थाओं, न्यायों, निगमित निकायों एवं केन्द्र तथा राज्य सरकारों से प्राप्त दान, अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (3) के अधीन उद्गृहीत अधिभार और धारा 6 की उपधारा (1) और (2) के अधीन उद्गृहीत अतिरिक्त कर के इक्कीसवें भाग के समतुल्य धनराशि का बैंक ज्ञापन, करायान अधिकारी द्वारा अध्यक्ष, उल्लराखण्ड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि को उपलब्ध कराया जायेगा, जिसे दुर्घटना राहत निधि के अध्यक्ष द्वारा अधिकृत अपर परिवहन आयुक्त द्वारा इस निमित्त भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा में खोले गये वचत बैंक खाते में जमा किया जायेगा, परन्तु यह और कि यदि किसी संभाग/उपसंभाग अथवा बैंकपोस्ट पर भारतीय स्टेट बैंक की सीवीएस शाखा उपलब्ध है, तो

	<p>उक्त क्षेत्र का कराधान अधिकारी बैंक ड्राफ्ट के स्थान पर उपरोक्त धनराशि सीधे खाते में जमा करायोगा और उसकी सूचना मारिक / कम्पिक रूप से परिवहन आयुक्त को प्रेषित करेगा।</p>
<p>(3) अध्यक्ष, उत्तराखण्ड राहत निधि द्वारा नियमावली के नियम 31 में निहित प्राविधानों के अनुरूप, संबंधित जिला मजिस्ट्रेट की संस्तुतियों प्राप्त होने पर ऐसी निधि से राहत की धनराशि स्वीकृत कर ड्राफ्ट के द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को उपलब्ध कराई जायेगी, जो उनके द्वारा राहत के हकदार व्यक्तियों में वितरित की जायेगी। बैंक खाते में अर्जित ब्याज, उक्त निधि का भाग माना जायेगा। उक्त ब्याज की धनराशि नियमावली के नियम 5 एवं 10 के अनुसार वर्धित कार्यों के लिए उपयोग की जायेगी।</p>	<p>(3) परिवहन आयुक्त / अध्यक्ष, उत्तराखण्ड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि द्वारा इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पन्द्रह दिवस के भीतर रूपये 25-25 लाख की धनराशि प्रत्येक जनपद के जिलाधिकारी के निर्वतन पर, इस निधि से सम्बन्धित राहत राशि वितरण के लिए, रखी जाएगी।</p>
<p>—</p>	<p>(4) सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी द्वारा उक्त धनराशि के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में "उत्तराखण्ड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि, (जनपद का नाम)" के नाम से बचत बैंक खाता खोला जाएगा।</p>
<p>—</p>	<p>(5) जनपदों में खोले गये उक्त खाते का संचालन जिलाधिकारी अथवा उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट, अपर जिलाधिकारी से अन्यून श्रेणी के अधिकारी एवं जनपद के सहायक संभालीय परिवहन अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जाएगा।</p>

16

	<p>(6) उस जिले का जिला मजिस्ट्रेट जिसकी अधिकारिता में दुर्घटना हुई हो, नियम 4 के उपनियम (1) के अधीन राहत के लिए व्यक्तियों की हकदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, यथासाध्य किसी ऐसे अधिकारी से जांच करायोगा जो उपखण्ड मजिस्ट्रेट से निम्न श्रेणी का न हो। उपात जॉब रिपोर्ट प्राप्त होने पर राहत के लिए हकदार व्यक्तियों को सुनिश्चित करते हुए उपनियम (4) के अन्तर्गत खोले गये खाते से तत्काल आर्थिक सहायता वितरित करेगा।</p>
	<p>(7) जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक माह के पश्चात अगले माह की पांचवीं तारीख तक पूर्ववर्ती माह में जनपद में घटित सड़क दुर्घटनाओं, वितरित की गयी धनराशि, सम्बन्धित वाहन दुर्घटना के विवरण, मजिस्ट्रेट जॉब रिपोर्ट, वितरित धनराशि की प्राप्ति रसीद सहित परिवहन आयुक्त को प्रेषित की जाएगी। प्रेषित सूचना के साथ ही जिलाधिकारी द्वारा अतिरिक्त धनराशि की मांग का प्रस्ताव भी परिवहन आयुक्त/अध्यक्ष, उत्तराखण्ड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि को प्रेषित किया जाएगा।</p>
	<p>(8) किसी जनपद के जिलाधिकारी से मांग प्राप्त होने पर, परिवहन आयुक्त/अध्यक्ष, उत्तराखण्ड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि द्वारा उक्त निधि से ऐसी धनराशि समवधिगत जिलाधिकारी को भुगतान: आर्वाटि की जाएगी कि जिलाधिकारी के बचत खाते में न्यूनतम रूपये 25 लाख की धनराशि बनी रहे।</p>
	<p>(9) वित्तीय वर्ष के अन्त में</p>

	<p>जिलाधिकारी द्वारा पूरे वित्तीय वर्ष के आय-व्यय का लेखा जोखा तथा खाते में अवशेष धनराशि का विवरण अगले वित्तीय वर्ष की पन्द्रह अप्रैल तक परिवहन आयुक्त/अध्यक्ष, उत्तराखण्ड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि को प्रेषित किया जाएगा।</p> <p>(10) उपनियम (2) एवं उपनियम (4) के अन्तर्गत खोले गये बैंक खातों में अर्जित ब्याज, उक्त निधि का भाग माना जायेगा। उक्तानुसार निधि के मूलधन व ब्याज की धनराशि नियमावली के नियम 8, 9 एवं 10 के अनुसार वर्धित कार्यों के लिए उपयोग की जायेगी।</p>
--	---

नियम 9 का 5 संशोधन

मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गए वर्तमान नियम 9 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात :-

गूगल नियमावली का विद्यमान नियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
1	2
<p>लेखा सम्परीक्षा- कार्यकारिणी, प्रति वर्ष निधि के लेखों की लेखा-परीक्षा के लिए एक लेखा-परीक्षक नियुक्त करेगी तथा उसका पारिश्रमिक नियत करेगी, जिसका भुगतान निधि के कोष से किया जायेगा। लेखा-परीक्षक अपनी रिपोर्ट कार्यकारिणी को प्रस्तुत करेगा तथा उसकी एक प्रति राज्य सरकार को प्रेषित करेगा, जो उस पर, जैसा उचित समझे, निर्देश जारी कर सकती है तथा कार्यकारिणी द्वारा ऐसे निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।</p>	<p>लेखा सम्परीक्षा- कार्यकारिणी, प्रति वर्ष निधि के लेखों, जिसमें जिलाधिकारियों के स्तर पर रखे गये लेख भी सम्मिलित होंगे, की लेखा-परीक्षा के लिए एक लेखा-परीक्षक नियुक्त करेगी तथा उसका पारिश्रमिक नियत करेगी, जिसका भुगतान निधि के कोष से किया जायेगा। लेखा-परीक्षक अपनी रिपोर्ट कार्यकारिणी को प्रस्तुत करेगा तथा उसकी एक प्रति राज्य सरकार को प्रेषित करेगा, जो उस पर, जैसा उचित समझे, निर्देश जारी कर सकती है तथा कार्यकारिणी द्वारा ऐसे निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।</p>

नियम 13
के पश्चात
नियम 14
जोड़ा जाना

6 मूल नियमावली के नियम 13 के उपरान्त निम्न नियम रख दिया जायेगा,
अर्थात:-

14. अध्यारोही प्रभाव
किसी अन्य नियमावली में इस विषय पर बनाये गये नियमों में किसी
नियम के प्रतिकूल होते हुए भी, इस नियमावली में दी गयी व्यवस्था
प्रभावी होगी।

अनुसूची

(नियम 4 के उपनियम (2) के अन्तर्गत)

क्रम संख्या	दुर्घटना/क्षति का विवरण	देय राहत की धनराशि (रुपये में)
1	2	3
1.	दुर्घटना से यात्री या अन्य व्यक्ति की मृत्यु होने पर	50,000
2.	दुर्घटना में गम्भीर रूप से घायल होने की स्थिति में, जबकि प्रभावित यात्री/अन्य व्यक्ति, ऐसी पूर्ण रथाई नि:शक्तता जो नियोजन उपजीविका या अन्य किसी भी प्रकार का व्यवसाय करने में बाधक हो। इससे गिनतिलिखत मामले भी सम्बन्धित है- (अ) दो अंगों की पूर्ण हानि (ब) दोनों नेत्रों की दृष्टि की पूर्ण हानि	50,000
3.	दुर्घटना में गम्भीर रूप से घायल होने की स्थिति में, यथा- (अ) टखने के ऊपर एक पैर की हानि (ब) एक नेत्र की हानि (स) दोनों कानों के सुनने की हानि (द) दाहिनी कलाई या एक भुजा की हानि (घ) यदि घायल व्यक्ति को 20 दिवस अथवा अधिक दिवस तक चिकित्सालय में उपचार हेतु भर्ती रहना पड़े।	20,000
4.	दुर्घटना में सामान्य रूप से घायल होने की स्थिति में (प्रमाणक 2 एवं 3 से गिनत मामलों में)	5,000

आज्ञा से,
प्रमुख सचिव।
(एचओ सभाखाना)
प्रमुख सचिव।